

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर

(दूरभाष नं.:—0141—2740837, फ़ैक्स 0141—2742309, ई मेल:—jacct.dta@rajasthan.gov.in)

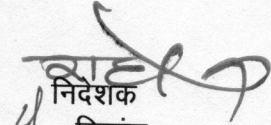
क्रमांक : एफ.4(ई)(एम-3048 / 2013) / अलेसे-III / 2305

दिनांक :- 15/12/21

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश संख्या 445/2020-21 दिनांक 17.08.2021 के द्वारा श्री मुकेश यादव, कनिष्ठ लेखाकार का स्थानान्तरण राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लि., जयपुर से राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस), जयपुर किया गया था। परन्तु आदिनांक तक श्री मुकेश यादव, कनिष्ठ लेखाकार द्वारा उक्त आदेश की तामील नहीं की गई है। अतः श्री मुकेश यादव, कनिष्ठ लेखाकार को निदेशालय स्तर से दिनांक 15.12.2021 को कार्यमुक्त कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपने नवीन पदस्थापन पर तुरन्त प्रभाव से कार्यग्रहण कर अपनी कार्यग्रहण रिपोर्ट निदेशालय को प्रेषित करें।

क्रमांक : एफ.4(ई)(एम-3048 / 2013) / अलेसे-III / 2305

o/c 
निदेशक
दिनांक :- 15/12/21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- विशेषाधिकारी आर एम एस सी ,राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लि., जयपुर ।
- 2- स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस), जयपुर।
- 3- श्री मुकेश यादव, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लि., जयपुर ।
- 4- पदस्थापन सीट / निजि / रक्षित पत्रावली।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)

o/c 